न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नखतदान बारहठ आर ए एस

राजस्व अपील/223/रा.का.अधि./44/2012/बाड़मेर

अपीलांट

1. भंवरलाल पुत्र मंगलाराम
2. भैराराम पुत्र मंगलाराम
3. हरदास उर्फ हरदेवराम पुत्र मंगलाराम
4. सुजानाराम पुत्र मंगलाराम
5. बाबुलाल पुत्र मंगलाराम
6. श्रीमती जमना बेवा मंगलाराम
7. सेनाराम पुत्र अमराराम
8. सदराम पुत्र अमराराम
9. मु0 भींयाराम पुत्र अमराराम फौत के कायम मुकाम:–
   9/1सूरजन पुत्र भींयाराम
   9/2हनुमान पुत्र भींयाराम
   9/3श्रवण पुत्र भींयाराम
   9/4रामलाल पुत्र भींयाराम
   9/5दिनेश पुत्र भींयाराम
   9/6मु. अणभा बेवा भींयाराम
10. चूनाराम पुत्र अमराराम
11. श्रीमती वीरों पत्नी उदाराम
12. बालूराम पुत्र भगाराम
13. जैकिशन पुत्र भगाराम
14. चनणाराम पुत्र भगाराम
15. श्रीमती चन्दू बेवा भगाराम
16. घमुराम पुत्र नरींगाराम
17. सदराम पुत्र रामकिशन
18. पांचाराम पुत्र रामकिशन
19. मोहनलाल पुत्र रामकिशन
20. किशन पुत्र रामकिशन
21. श्रीमती सुगनी बेवा रामकिशन जाति विश्नोई निवासी कोजा तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर।

बनाम

रेस्पोर्डेंटगण

1.श्रीमती शांति पत्नी रामजीवन
2.जगमालराम पुत्र मंगलाराम
3.धीमाराम पुत्र राजू जाति विश्नोई निवासी कुम्हारों की बेरी (कोजा)
4.अणदाराम पुत्र नरींगाराम
5.तेजाराम पुत्र नरींगाराम
6.पाबूराम पुत्र नरींगाराम
7.श्रीमती नेनू पत्नी सोनाराम जाति विश्नोई निवासी कोजा तहसील धोरीमन्ना।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर गुड़ामालानी द्वारा राजस्व वाद संख्या 151/2003 बअनवान अणदाराम वगैरह बनाम वरींगाराम वगैरा में पारित आदेश दिनांक 07.02.2011 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री भाखराराम गोदारा अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री कुमार कौशल जोशी रेस्पोडेंट की ओर से ।

निर्णय

दिनांक:– 14.08.2019

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण ने ग्राम कुम्हारों की बेरी की सीमा में स्थित भूमि खसरा संख्या 38, 39, 169, 170 कुल रकबा 354.10 बीघा के खातेदारी घोषणा के लिए एक वाद अधीनस्थ न्यायालय में पेश कर बताया कि वादग्रस्त भूमि वादीगण तथा प्रतिवादीगण के दादा–पड़दादा स्व0 गुलाराम से प्राप्त हुई है जो पैतृक खातेदारी की सम्पति है। स्व0 गुलाराम जी के तीन पुत्र सबसे बड़े ईशराराम उससे छोटा भागचन्द व सबसे छोटे भारताराम थे। भू–माप के समय वादग्रस्त भूमि दोनों बड़े लड़के ईशराराम व भागचन्द के नाम से गलती से दर्ज कर दी तथा सबसे छोटे भारताराम का नाम दर्ज नहीं किया। भारताराम वादीगण के पूर्वज है। भारताराम का वादग्रस्त आराजी में 1/6 हिस्सा खातेदारी व कब्जेकाश्त में है। विवादित भूमि के अलावा गुलाराम के तीनों लड़कों की ग्राम कोजा में भूमि खसरा संख्या 352 रकबा 67.18 बीघा का पट्टा स्व0 गुला के तीनों लड़कों के नाम से जारी किया गया है। विवादित भूमि में आधा हिस्सा वादीगण तथा प्रतिवादी संख्या 01 से 11 का है तथा शेष आधा हिस्सा प्रतिवादी संख्या 12 से 29 का है। अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित प्रतिवादीगण ने वादीगण से राजीनामा कर वाद को जरिये राजीनामा डिक्री किये जाने में अपनी सहमति दी तथा वादी ने अपनी साक्ष्य प्रस्तुत की तथा प्रतिवादी संख्या 01, 06 व 10 ने भी वादीगण के साक्षी के रूप अपने बयान दर्ज करवाये जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 17.01.2004 के द्वारा वादीगण को विवादित भूमि के 1/6 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने के आदेश पारित किये गये। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश के विरूद्ध अकेले प्रतिवादी संख्या 31 जगमालराम ने एक अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई जो दिनांक 07.06.2006 को स्वीकार कर मामला प्रतिप्रेषित किया जाकर अपीलार्थी जगमलाराम के अधिकारों की सुनवाई कर उसके हिस्से की भूमि की घोषणा किये जाने का निर्देश दिया जिस पर वाद अधीनस्थ न्यायालय में अभी विचाराधीन चल रहा है। न्यायालय हाजा ने अपने आदेश दिनांक 07.06.2006 के द्वारा मामला सुनवाई कर केवल अपीलार्थी जगमालराम के हिस्से की घोषणा करने के निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया है इस कारण धारा 144 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के प्रावधान मामले में लागू नहीं होते है। इस कारण प्रत्यर्थी संख्या 01 से 03 का धारा 144 का प्रार्थना–पत्र चलने योग्य नहीं था। प्रत्यर्थी संख्या 01 व 02 सामलाती खातेदारी की विवादित भूमि के अजनबी खरीद्दार की श्रेणी में आते हैं जिनको बिना विभाजन करवाये विवादित भूमि पर कोई हक अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। विवादित भूमि के उनके हिस्से का विभाजन किये जाने के लिए कोई वाद आज दिन तक प्रस्तुत नहीं किया गया है। नामान्तकरण संख्या 189 तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा पारित किया गया है जिसकी

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

पूर्व स्थिति बहाल करने का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 144 उपखण्ड अधिकारी के समक्ष चलने योग्य ही नहीं है। पूर्व स्थिति बहाली के लिए प्रार्थना–पत्र एकमात्र तहसीलदार गुड़ामालानी के समक्ष ही सुनवाई योग्य है। अपीलाधीन आदेश विधि सम्मत नहीं होने से खारिज योग्य है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित प्रतिवादीगण ने वादीगण से राजीनामा कर वाद को जरिये राजीनामा डिक्री किये जाने में अपनी सहमति दी तथा वादी ने अपनी साक्ष्य प्रस्तुत की तथा प्रतिवादी संख्या 01, 06 व 10 ने भी वादीगण के साक्षी के रूप अपने बयान दर्ज करवाये जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 17.01.2004 के द्वारा वादीगण को विवादित भूमि के 1/6 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने के आदेश पारित किये गये। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश के विरूद्ध अकेले प्रतिवादी संख्या 31 जगमालराम ने एक अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई जो दिनांक 07.06.2006 को स्वीकार कर मामला प्रतिप्रेषित किया जाकर अपीलार्थी जगमलाराम के अधिकारों की सुनवाई कर उसके हिस्से की भूमि की घोषणा किये जाने का निर्देश दिया जिस पर वाद अधीनस्थ न्यायालय में अभी विचाराधीन चल रहा है। न्यायालय हाजा ने अपने आदेश दिनांक 07.06.2006 के द्वारा मामला सुनवाई कर केवल अपीलार्थी जगमालराम के हिस्से की घोषणा करने के निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया है इस कारण धारा 144 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के प्रावधान मामले में लागू नहीं होते है। इस कारण प्रत्यर्थी संख्या 01 से 03 का धारा 144 का प्रार्थना–पत्र चलने योग्य नहीं था। प्रत्यर्थी संख्या 01 व 02 सामलाती खातेदारी की विवादित भूमि के अजनबी खरीद्दार की श्रेणी में आते हैं जिनको बिना विभाजन करवाये विवादित भूमि पर कोई हक अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। विवादित भूमि के उनके हिस्से का विभाजन किये जाने के लिए कोई वाद आज दिन तक प्रस्तुत नहीं किया गया है। नामान्तकरण संख्या 189 तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा पारित किया गया है जिसकी पूर्व स्थिति बहाल करने का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 144 उपखण्ड अधिकारी के समक्ष चलने योग्य ही नहीं है। पूर्व स्थिति बहाली के लिए प्रार्थना–पत्र एकमात्र तहसीलदार गुड़ामालानी के समक्ष ही सुनवाई योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

वकील रेस्पोडेंट ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय विधि के अनुरूप पारित किया गया है जिसमें किसी तरह की कमी नहीं हैं। अपीलाधीन निर्णय दिनांक 07.11.2004 को न्यायालय हाजा में अपील पेश कर बाद सुनवाई अपास्त कर मामला अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया गया। जिस निर्णय एवं डिक्री पालना में नामांतकरण संख्या 189 भरा गया वो शून्य हो चुकी है। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो आदेश पूर्व स्थिति बाहाली का पारित किया गया है उसमें को विधिक त्रुटि नहीं है। इसलिए अपीलांट की अपील खारिज फरमायी जावे।

पत्रावली का अवलोकन व विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायालय हाजा के अपील प्रकरण संख्या 60/2005 में निर्णय दिनांक 07.06.2006 से अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर गुड़ामालानी के प्रकरण संख्या 151/2003 में पारित निर्णय दिनांक 17.11.2004 को अपास्त कर दिया जाकर मामला प्रतिप्रेषित किया गया। अपीलांटगण को रेस्पोडेंटस की ओर से अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत आवेदन अंतर्गत धारा 144 सी पी सी में समुचित सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने से अपीलाधीन आदेश/निर्णय दिनांक 07.02.2011 अपास्त किया जाना न्यायोचित है।

उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर गुड़ामालानी द्वारा राजस्व वाद संख्या 151/2003 बअनवान अणदाराम वगैरह बनाम वरींगाराम वगैरा में पारित आदेश दिनांक 07.02.2011 को अपास्त किया जाकर मामला अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांटगण को धारा 144 के आवेदन के संबंध में उन्हे अपना पक्ष रखने एवं सुनवाई का अवसर देने के पश्चात गुणावगुण पर पुनः निर्णय पारित करे।

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

14/8/19
राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

(नखतदान बीरहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 14.08.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

14/8/19
राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner